L.N.393-W/M-/Instruction/0/Vol–III

दिनांक -08/05/2024

मंडल कार्यालय आदेश 14/2024

समस्त मुख्य लोको निरीक्षक
एवं मुख्य क्रू नियंत्रक, जोधपुर एवं मेड़तारोड
समस्त लोकोपायलट, लोकोपायलट शंटर एवम सहायक लोकोपायलट

विषय :- रोड लर्निंग के सम्बन्ध में विशेष संरक्षा अभियान (सामान्य व सहायक नियम 3.78)

सन्दर्भ :- Action point noted during safety VC convened by CRB & CEO on 06.05.2024

मुख्यालय के निर्देशानुसार LP/ALP/LPS को रोड लर्निंग व यार्डो के सम्बन्ध में सही जानकारी हेतु एक माह के लिए विशेष संरक्षा अभियान दिनांक 08/05/2024 से 07/06/2024 तक चलाया जा रहा है जिसमे सभी मुख्य लोको निरीक्षको को निर्देश दिए जाते है कि व अपने नामित सभी LP/ALP/LPS का उसके रोड लर्निंग से सम्बन्धित सेक्शनो के यार्डो का सही ले आउट बनवाये तथा सेक्शन, सिग्नलों, स्टेशन /यार्ड /साइडिंग, सिग्नलों की कार्यप्रणाली से सम्बन्धित सवाल कर उनका ज्ञान स्तर जांचेगे यदि इस सम्बन्ध में उनका ज्ञान स्तर उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो इसकी रिपोर्ट बनाकर अविलम्ब मंडल कार्यालय भेजेंगे |

संरक्षा अभियान के दौरान प्रति सप्ताह रिपोर्ट देंगे तथा संरक्षा अभियान के पूर्ण होने पर दिनांक 08/06/2024 को इसकी रिपोर्ट मंडल कार्यालय में प्रस्तुत करे |

LP/ALP/LPS का रोड लर्निंग की उपयुक्तता जांचते समय निम्न बिन्दुओ को शामिल करे :-

- सेक्शनो के यार्डो व जंक्शन स्टेशनो का ले आउट
- स्टेशन पर रनिंग/नॉन रनिंग लाइन तथा साइडिंग
- ट्रेक के दाई तरफ पड़ने वाले सिगनल
- इंटर मीडियेट व रूटिंग सिगनल
- विशेष स्थान तथा एक तरफ से दिखाई देने वाले सिगनल
- सिगनलो व सेक्शन की कार्य प्रणाली व मिलने वाले प्राधिकार
- सिगनलो के संकेत व उसके निर्देशों के बारे जानकरी
- ढलान में स्थित रोक सिगनल

नोट - LP/ALP/LPS द्वारा रोड लर्निंग लेने के बाद उनकी सक्षमता की जाँच में उपयुक्त पाए जाने पर ही उस सेक्शन में गाड़ी कार्य करने के लिए बुक करे |

वरी.मंडल यांत्रिक इंजी.(Enhm&P)
उ.प.रेलवे,जोधपुर

प्रतिलिपि – मंडल रेल प्रबन्धक ,सादर सूचनार्थ
अपर मंडल रेल प्रबन्धक ,सादर सूचनार्थ
वरि.मंडल संरक्षा अधिकारी, सूचनार्थ
स.म.या.इंजी.(शक्ति), सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु